न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम ओमप्रकाश कैलाश किसनलाल नन्दकिशोर रामदीन पि.पांचूराम रामीदेवी पत्नि पांचूराम रेगर कुचामनसिटी

RCMS No.2020/00138

प्रा.पत्र नम्बर 63/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19/12/2022	अप्रार्थी किसनलाल पुत्र पांचूराम रेगर कुचामनसिटी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनरिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थीगण ओमप्रकाश कैलाश किसनलाल नन्दकिशोर रामदीन पि.पांचूराम रामीदेवी पत्नि पांचूराम रेगर कुचामनसिटी के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 30रकबा 0.64 हैक्टर बारानी द्वितीय को अप्रार्थीगण ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के अकृषिक प्रयोजन उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी किसनलाल ने जवाब मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 30 की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग नही किया जा रही है भविष्य मे हक हिस्से की भूमि का कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करूंगा तो नियमानुसार रूपान्तरण की कार्यवाही करके ही करूंगा, रूपान्तरण की प्रक्रियाधीन है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 17.08.2020 को एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज फरमाया जावें, जिससे रूपान्तरित की कार्यवाही आगे हो सके प्रकरण में उभय पक्षकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया भूमि को उपयोग में लिये जाने से पूर्व विहित प्राधिकारी से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ही कृषि से अकृषि प्रयोजन काम में ली जावेंगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब/शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए कि वे उपरोक्त भूमि का कृषि से अकृषि रूपान्तरण कराना चाहते है तथा शीघ्र ही विहित प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि रूपान्तरण करा लेंगे, अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण आपसी सहमति से बंटवारा एवं आवेदन–पत्र विहित प्राधिकारी के यहॉ पर प्रस्तुत करने में असमर्थ है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 17.08.2020 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2023.02.13 14:33:22 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	